।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक :– निरी / फरारी / 2010 / जेल अभि. / चित्तौड / 147-248 दिनांक : 5/4/10

1. समस्त अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी /
केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह, राजस्थान ।

2. प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह, घूघरा, अजमेर ।
3. महिला बन्दी सुधारगृह, उदयपुर / जोधपुर

–: परिपत्र :–

प्रायः देखने में आया है कि कारागृहों पर पदस्थापित अधिकारी / कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन विधिवत नहीं करके नियमों की अवज्ञा करते है, जिसके परिणाम स्वरूप बन्दी पलायन करने में सफल हो जाते है, जिससे न केवल संबंधित जेल की बल्कि कारागार विभाग की छवि धुमिल होती है, अभी हाल ही में जिला कारागृह, चित्तौडगढ पर 23 बंदी कारागृह कर्मियों द्वारा अपनी ड्यूटी पर लाफरवाही बरतने के फलस्वरूप पलायन करने में सफल हो गये ।

अतः सभी कारागृह प्रभारियों को हिदायत की जाती है कि कारागार नियमावली 1951 के नियमों के मद्देनजर रखते हुए कर्तव्य का निर्वाहन करें, तथा निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावें :–

1. प्रातः व सांय जेल खोलते व बन्द करते समय समस्त स्टाफ उपस्थित रहेगा, तथा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें ।
2. कारागार नियमावली के पार्ट 25 सेक्शन 9 के नियम 228 के अनुसार सभी बंदियान को दैनिक कार्यो से निवृत होने के बाद 9 से 10 एवं 11.00 ए.एम. पर उनकी बैरिकों में आवश्यक रूप से गणना करके बन्द कर दिया जावें, तथा 3. 00 पी.एम. से पूर्व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के नहीं खोला जावें ।
3. यह है कि कारागार नियमावली के नियम (1) पार्ट–VIII सेक्शन–XIII नियम–234,225,246,226 के अनुसार समस्त जिला एवं उप कारागृहों पर राशन ठेकेदारों से प्रति दिवस के राशन की सामग्री जेल मेनगेट में दिलाई जावें, ठेकेदार से कच्चा राशन दिलाते समय जेलर,मुख्य प्रहरी मेनगेट के अन्दर मौजूद रहे, तथा मेनगेट के अन्दर वाले गेट खिडकी की चाबी मुख्य प्रहरी के पास रहें एवं बाहर वाले गेट की खिडकी की चाबी राईफल संतरी के पास रहें, जब मुख्य प्रहरी राशन ठेकेदार,जेलर,प्रहरी कोई भी अधिकृत व्यक्ति अन्दर जावें,

तो राईफल संतरी बाहर से मेनगेट खिडकी का ताला लगाकर चाबी अपने पास रखें।

4. सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य प्रहरी यदि किसी कारण जेल के अन्दर जा रहा है, तो मेनगेट के अन्दर वाले गेट की खिडकी की चाबी गेट सहायक या अन्य प्रहरी को गेट में छोडकर उसे देवें वह प्रहरी या गेट सहायक ही मुख्य प्रहरी या प्रहरी को अन्दर गेट खिडकी खोलकर अन्दर करेगा व जब तक अन्दर का कार्य सम्पादित नहीं होकर प्रहरी या मुख्य प्रहरी जेल से वापस गेट में नहीं आ जाता तब तक मेनगेट के मध्य ही रहेगा। प्रतिदिन यही प्रक्रिया अपनाई जावेंगी। किसी भी स्थिति में राईफल संतरी मेनगेट खोकर कोई भी दैनिक क्रिया नहीं करेगा, अर्थात राईफल संतरी जेल मेनगेट में जाने के लिए अधिकृत नहीं है ।
5. राईफल संतरी को सदैव ऐसे स्थान पर स्थित रहना चाहियें जहॉ कि उस पर बंदी अथवा अन्य आगन्तुक हमला कर उसे नियंत्रण में नहीं ले सकें ।

अतः उक्त परिपत्र को पालना समस्त कारागृह प्रभारी सुनिश्चित करावें, तथा परिपत्र प्राप्ती की रसीद आप स्वंय अपने हस्ताक्षरों से मुख्यालय को भिजवावें ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप महानिरीक्षक कारागार क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर/जोधपुर ।
2. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षणरत कर्मचारियों को विभाग द्वारा जारी परिपत्रों की जानकारी करायी जाया करें ।
3. निजि सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर ।
4. निजि सहायक महानिरीक्षक कारागार राजस्थान,जयपुर ।
5. सामान्य शाखा, महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।
6. परिपत्र पत्रावली–170 में वास्ते फाईल करने हेतु ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर